न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1681–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–9–09 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 25/निग0/08–09.

———

1– भैयालाल कोरी आत्मज गंगाराम कोरी,
2– बसंतीलाल कोरी आत्मज श्री प्रभूलाल कोरी
निवासीगण परासी गुर्जर तहसील व
जिला विदिशा म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

———

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री बी. एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09-12-14 को पारित)

———

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 25/निग0/08–09 में पारित आदेश दिनांक 16.9.09 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कैलाश नारायण एवं नौनीतराम द्वारा तहसीलदार को इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम परासी गूजर स्थित शासकीय भूमिसर्वे नं. 322/2 रकबा 1.223 हैक्टर का पट्टा आवेदक भैयालाल को तथा भूमि सर्वे नं. 322/3 रकबा 1.223 हैक्टर का पट्टा प्रभूलाल को स्वीकृत किया था, किंतु उक्त दोनों व्यक्ति 1986 से ग्राम से बाहर चले गये हैं, तथा अपनी भूमि के विकय करने का इकरारनामा अन्य के पक्ष किया है, तथा भूमि न्य को विकय करना चाहते हैं । तहसीलदार, विदिशा ने जांच उपरांत अपना प्रतिवेदन पट्टे निरस्त करने हेतु दिनांक 19.1.04 को एस.डी.ओ. को भेजा । एस.डी.ओ. ने आदेश दिनांक 16.9.04 द्वारा उक्त पट्टे निरस्त किए। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की जो

उन्होंने आदेश दिनांक 21.2.05 द्वारा स्वीकार की तथा प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया ।

प्रकरण प्राप्त होने पर कलेक्टर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें जांच उपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 25.2.09 द्वारा संहिता की धारा 182 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दोनों पट्टे निरस्त किए । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवकता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि उनके हक में पट्टा 1984 में हुआ है और इतने लंबे समय पश्चात 2009 में प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने का कलेक्टर को अधिकार नहीं है । आवेदकों ने पट्टे की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है ना ही भूमि विक्रय की कार्यवाही की है । यह भी कहा गया कि 10 साल बाद भूमि परभूमिस्वामी स्वत्व व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसे भूमि भाड़े पर देने का अधिकार हैं । ग्रामवासियों द्वारा आवेदकों के विरूद्ध झूंठी शिकायत की है ।

यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने आवेदकों द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर कोई विवेचना नहीं किये है और ना ही न्यायदृष्टांतों पर विचार किया । आवेदकों द्वारा अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा तर्क प्रस्तुत किए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है इसयिलए वह अपनी उक्त भूमि को भाड़े पर करा रहे हैं नाकि भूमि विक्रय कर रहे हैं ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह न्यायदृष्टांत पेश किया था कि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों को एक वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लेने का अधिकार नहीं है । शिकायतकर्ताओं द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था जिससे सिद्ध होता है कि आवेदकों ने भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित किया है । केवल काल्पनिक आधार पर दोनों न्यायालयों ने यह मानकर कि आवेदकगण भूमि विक्रय करना चाहते हैं, के आधार पर आवेदकों का पट्टा निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकों की ओर

से प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई विवेचना नहीं की है । आवेदकगण द्वारा अपना राशन कार्ड, कृषि भूमि की भू–ऋण अधिकार पुस्तिका एवं राशनकार्ड प्रस्तुत किया था जिससे प्रथम दृष्टया सिद्ध है कि आवेदकगण ग्राम में ही निवास करते हैं । उक्त आधार पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण पट्टे को निरस्त किए जाने के संबंध में है । आवेदक के द्वारा यह कहा गया है कि लंबी अवधि के उपरांत पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता । इस संबंध में आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी न्यायालय ने स्वमेव अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है इसमें पट्टा ग्रहीता उस ग्राम में रहता ही नहीं है और उन्होंने भूमि पर स्वयं काश्त न करते हुए अन्य लोगों को अनबंध के आधार पर भूमि विक्रय करने के तथ्य सामने आए हैं । आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष सही है कि शासकीय भूमि का पट्टा स्वयं काश्त करने के लिए दिया जाता है न कि इकरारनामे के माध्यम से किसी अन्य के द्वारा काश्त कराने हेतु । उनका यह निष्कर्ष भी उचित है कि जब आवेदकगण ग्राम में निवास नहीं करते हैं तब उन्हें शासकीय पट्टे की भूमि धारण करने की पात्रता न7हीं रहती है । यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि पट्टे की भूमि को विक्रय या अंतरण बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकता है । यह भूमि जिस व्यक्ति को दी जाती है वह इस उद्धेश्य से दी जाती है वह स्वयं कृषि करें नाकि विक्रय आदि के लिए । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह तथ्यों के आधार पर सुस्पष्ट, न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर